छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक / सावित्र / नमक निविदा / 2014–15 / 1296 / रायपुर, दिनांक :– 11/11/14

अमृत नमक ई–निविदा क्रमांक 50 एवं 51 के दस्तावेज में संशोधन सूचना

रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के अमृत नमक ई–निविदा दिनांक 03–12–2014 के आमंत्रित ई–निविदा क्रमांक 50 के दस्तावेज के पृष्ठ क्रमांक –9 के बिन्दु क्रमांक 22 में उल्लेखित "नमक प्रदायकर्ता को साल्ट कमिश्नर, भारत सरकार द्वारा वर्ष भर के लिये आयोडिन नमक उत्पादन हेतु लगभग 84000 मे0टन क्षमता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है" के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

01 नमक प्रदायकर्ता को वर्ष भर के अनुमानित मात्रा 84000 मे0टन है। चार माह के आबंटन अनुसार लगभग 28000 मे0टन का उत्पादन क्षमता का सर्टिफिकेट, साल्ट कमिश्नर, भारत सरकार से होना अनिवार्य है। समय–समय पर उत्पादन क्षमता को साल्ट कमिश्नर, भारत सरकार से बढ़ाना अनिवार्य होगा । निविदा अवधि में कुल निर्माण क्षमता 84000 मे0टन होना अनिवार्य रहेगा ।

बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के अमृत नमक ई–निविदा दिनांक 03–12–2014 के आमंत्रित ई–निविदा क्रमांक 51 के दस्तावेज के पृष्ठ क्रमांक –9 के बिन्दु क्रमांक 22 में उल्लेखित "नमक प्रदायकर्ता को साल्ट कमिश्नर, भारत सरकार द्वारा वर्ष भर के लिये आयोडिन नमक उत्पादन हेतु लगभग 70000 मे0टन क्षमता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है" के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

01 नमक प्रदायकर्ता को वर्ष भर के अनुमानित मात्रा 70000 मे0टन है। चार माह के आबंटन अनुसार लगभग 24000 मे0टन का उत्पादन क्षमता का सर्टिफिकेट, साल्ट कमिश्नर, भारत सरकार से होना अनिवार्य है। समय–समय पर उत्पादन क्षमता को साल्ट कमिश्नर, भारत सरकार से बढ़ाना अनिवार्य होगा । निविदा अवधि में कुल निर्माण क्षमता 70000 मे0टन होना अनिवार्य रहेगा ।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(एस0एस0भट्ट)
प्रबंधक (सावित्र)